

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

नम्बर व तारीख अहकाम जो
इस हुक्म की तामील में
जारी हुए

25.07.2024

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थीगण वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते हैं। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहते हैं। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ईटवाया तहसील सिवाना की खसरा संख्या 1984/1086 रकबा 01.9992 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को 1000/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।


सपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

क्र: वाद / 2024 / 619

दिनांक : 30-07-24

प्रार्थी
काना पुत्र मेजला वगैरा

बनाम

विप्रार्थीगण
जोगा पुत्र उमा वगैरा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भूरा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये
पत्थर गद्दी

राजस्व आवेदन सं:-85 / 2023

दिनांक:-25.07.2024

—: आदेश :-

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम ईटवाया तहसील सिवाना के खसरा संख्या 1984 / 1086 रकबा 01.9992 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क रूपये 1000 /—प्रार्थीगण अदा करेगा।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
(SDO) सिवाना

दिनांक : 30-07-24

क्रमांक: वाद / 2024 / 620-623

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी, पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी पादरू को तहसीलदार सिवाना द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकॉर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. श्री काना पुत्र मेजला जाति रबारी निवासी ईटवाया तहसील सिवाना जिला बालोतरा को सूचनार्थ



उपखण्ड अधिकारी,
(SDO) सिवाना